न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 76 / 2025(GCMS 2025/350)
(RTI No. 212555666262683)

श्री खेमराज सोनी निवासी 3 राठी महाजनों के पास, नाचना जिला जैसलमेर पिन नं. 345028 (मोबाईल नम्बर – 80944—95324)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री खेम राज सोनी उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2025 से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री खेमराज सोनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से सूचना चाही थी, जिसकी प्रति अपीलार्थी ने अपील अपील के साथ प्रस्तुत नहीं की है।

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपने पत्रांक राजस्व / सूचना का अधिकार अधि.पत्रा / 2025 / 1516 दिनांक 27.10.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी खेमराज सोनी द्वारा इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक 212169850760999 दिनांक 21.07.2025 द्वारा निर्वाचक नामावली भाग सं. 110 सन 2013 से 2015 की प्रमाणित प्रति के संदर्भ में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1230 दिनांक 01.09.2025 द्वारा वर्ष 2013 व 2014 की प्रमाणित प्रति नियमानुसार इस कार्यालय में राशि जमा करवाकर प्राप्त करने एवं वर्ष 2015 की मतदाता सूची हेतु श्रीमान् निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी (एसडीएम), सूरतगढ़ से प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था। जिसके क्रम में प्रार्थी से निर्देश / दूरभाष वार्ता उपरान्त प्रार्थी के भाई श्री देवकिशन पुत्र आईदान द्वारा दिनांक 13.10.2025 को इस कार्यालय में उपलब्ध अनुसार वांछित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा दी गई है। प्राप्ति हस्ताक्षर की प्रति संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:46 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 19 / 2025
(GCMS No. 2025/187)
(RTI No. :)

	अतः अपील अपीलोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी / सूचना के संदर्भ में प्रार्थी से निर्देश प्राप्त उपरान्त प्रार्थी के भाई को सूचना / प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है, इसलिए उक्तानुसार विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें। **तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़** ने अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अपीलार्थी की ओर से उपस्थित उसके भाई श्री देव किशन को उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसकी हस्ताक्षर युक्त प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए विचाराधीन अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। **अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो। **यह आदेश** आज **दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (डॉ. मन्जू) जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:46 IST
Reason: SelfAttested